राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1968/2011/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकरी
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,बीकानेर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बेनीवाल कन्ट्रक्शन कम्पनी
बीकानेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.01.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्टस एवं लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 444/आरवैट/बीकानेर/09–10 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोचय अवधि 2006–07 के दौरान कुल प्राप्त भुगतान रू. 19,72,900/–में से रू. 55,771/–विभिन्न गणना केन्द्रों पर वाहन गणना कार्य के पेट तथा रू. 64,640/– रेन कट भराई, बरम्स रिपेयर एवं पेन्टिंग कार्य के पेटे प्राप्त किये। रू. 4,31,033/–कार्यालय भवन एवं रेस्ट हाउस में मरम्मत कार्य के पेटे तथा रू. 14,21,456/–चूरू –भालेरी रोड कि.मी. 1/0 से 3/0 एवं 3/0 से 15/0 तक मरम्मत कार्य के पेटे प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य में प्रयुक्त विभिन्न भवन निर्माण सामग्री रू.4,75,124/–की खरीद बताते हुए इस पर आई टी सी क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद बिलों की जांच के पश्चात वैट चुकाकर की गई खरीद रू. 1,49,035/– पर 4 प्रतिशत की दर से, रू. 88,450/– पर 12.50 प्रतिशत की दर से एवं बजरी खरीद की वैट–39 रसीदों पर कुल आई टी सी रू19,193/–देय होना माना। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये गये संविदा कार्यो तथा खरीद को ध्यान में रखते हुए इन्टें, बिटुमिन एवं आयरन आदि रू. 2,96,000/–पर 4 प्रतिशत की दर से रू. 11840/–एवं सीमेन्ट,ग्रीट–ब्लास्ट,कंकर, रंग–पेन्टस व बजरी आदि रू. 4,44,000/– पर 12.50 प्रतिशत की दर से रू. 55,500/–कुल रू. 67,340/–आउट पुट टैक्स निर्धारित किया। आलोच्य अवधि में तिमाही रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 2000/–एवं कर राशि रू. 10367/–विलम्ब से जमा कराने के कारण अधिनियम की धारा ब्याज रू. 2483/–आरोपित कर वसूली योग्य राशि 14,850/–आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 16.02.2009 पारित किया। आदेश दिनाक 16.02.3009 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत की, जिस पर उन्होंने विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया अपीलोधीन आदेश अविधिक,भ्रामक एवं विधि के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने इन्टें एवं सीमेन्ट का उपयोग संविदा कार्य के निष्पादन में उपयोग किया है,जिसका भुगतान प्रत्यर्थी व्यवहारी ने प्राप्त किया है, इसलिए कर रू. 12387/–आरोपित किया है, जो उचित है, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी उचित कर कारण के उसको समाप्त किया है, जेा अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रू. 1,00,000/–के बिटुमिन की खरीद पर रू. 4000/– कर आरोपित किया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 एवं आरोपित शास्ति तथा अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज को घटाकर क्रमशः रू. 500/– एव 1500/– किया है,जो अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी की ओर से ईटों की खरीद पर पर 4 प्रतिशत की दर से आरेापित कर रू. 1605/– एवं सीमेन्ट की खरीद रू. 86,260/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर रू. 10,782/–को विवादित किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.02.2009 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 16.02.2009 विधि के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश में विटुमिन, ईन्ट एवं आयरन रू. 2,96,000/–की खरीद मानकर इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 11,840/–आरोपित किया है। उनका कथन है कि आलोच्य अवधि में कुल कार्य संविदा से रू. 19,72,900/–की प्राप्ति की है, जिसमें से रू. 64,640/– वाहन गणना कार्य लेकर प्राप्तियों के तहत किया है, रू.

14,21,456/– का मरम्मत कार्य चूरू भालेरी रोड एवं रेस्ट हाउस रिपेयरिंग का कार्य किया है, इसे रेस्ट हाउस एवं रियेरिंग सडक कार्य में पुलिया के साइड में रिपेयरिंग हेतु ईन्ट,सीमेन्ट,बजरी एव ग्रीट मैटेरियल काम में लिया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इस कार्य के निष्पादन मे बिटुमिन पर करारोपण किया है, किन्तु बिटुमिन का इस कार्य में कोई उपयोग ही नही किया गया है। उनका कथन है कि इसमें रोड निर्माण का कार्य नहीं होकर पुलियों के साइड में रिपेयरिंग का कार्य किया गया है। उनका कथन है कि उपरोक्त संविदा कार्यो में लेबर वर्क का ज्यादा कार्य हुआ है। उनका कथन् है कि उक्त अवधि में रू. 40125/–की खरीद ईटों की कम्पोजीसन डीलर से की है तथा इसका उपयोग उक्त कार्य में मैटेरियल के रूप में लिया गया है,अतः इस माल पेटे प्रत्यर्थी व्यवहारी को समायोजन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग में से आंशिक मांग को यथावत रखते अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित नहीं है । उन्होने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित समस्त को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.02.2011 पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की ओर से ईटों की खरीद पर पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित कर रू. 1605/– एवं सीमेन्ट की खरीद रू. 86,260/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर रू. 10,782/–को विवादित किया गया।

हस्तगत प्रकरण के रेकार्ड से अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रशमन डीलर्स से रू. 40,125/–की ईन्टों की खरीद की गई है,जिसका समायोजन कार्य निष्पादन में नही जाकर कर निर्धारण अधिकारी ने उन्हीं रू. 40,125/–ईन्टों की खरीद पर 4 प्रतिशत की दर से पुनः कर रू. 1605/–आरोपित किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने रू. 40,125/–की ईटों की खरीद प्रशमन डीलर्स से किया जाना मानते हुए आरोपित कर रू. 1605/–को अपास्त किया है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है । अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि क्रय की गई सीमेन्ट रू. 86,260/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रू. 10,782/–आरोपित किया है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड की जांच के पश्चात पाया गया है कि आलोच्य अवधि में रू. 86,260/–की खरीद अधिनियम की धारा 3(2)

के अन्तर्गत विकल्प लेने वाले व्यवसाईयों से की है, जिसका समायोजन संविदा कार्य के पेटे नहीं किया गया है इसलिए आरोपित कर रू. 10,782/–को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष विधिक होने के कारण इसमें हस्तक्षेन करने का कोई औचित्य यह पीठ नही समझती है। फलतः इस बिन्दु पर भी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य